फैक्स / आवश्यक / महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या–डीजी–चार–101(18) / 2018(पदोन्नति) दिनॉकः लखनऊःअगस्त 13 2018

आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0 से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थगित प्रकरणो एवं मा0 न्यायालय के विविध निर्णयों के अनुपालन में पुनर्विचार से संबंधित उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेजे गये प्रकरणो पर विचारण हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा दिनॉक 10–08–2018 को बैठक का आयोजन करते हुये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित–2017 के नियम–5(2)(ख) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क0 सं0	पीएनओन0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति का जनपद / इकाई	जोन / इकाई	चयन वर्ष
1	051240019	नीरज वालिया	जय कुमार वालिया	21.11.1977	सुरक्षा विभाग, उ0प्र0लखनऊ	सुरक्षा विभाग	2016
2	052251144	मनीष कुमार सिंह	सुरेश बहादुर सिंह	15.02.1978	बाराबंकी	लखनऊ	2016
3	062240143	राकेश कुमार पाण्डेय	मेवालाल पाण्डेय	30.08.1973	कानपुर नगर	कानपुर	2016
4	072520042	सत्य प्रकाश यादव	राजेन्द्र यादव	27.04.1978	सिद्वार्थ नगर	गोरखपुर	2016
5	072960073	अनुराग कुमार	राधेश्याम	04.05.1978	चन्दौली	वाराणसी	2016
6	812340035	अरूण कुमार अवस्थी	हजारी लाल अवस्थी	10.03.1962	लखनऊ	लखनऊ	2016
7	890650079	राकेश कुमार	भगवान दास	19.11.1969	लखनऊ	लखनऊ	2016
8	812350658	लाल बिहारी	राजाराम	01.06.1961	बरेली	बरेली	2016
9	012490224	तेजबहादुर सिंह	सिरताज सिंह	01.12.1975	फिरोजाबाद	आगरा	2017
10	052010646	चन्द्रशेखर यादव	मोतीलाल यादव	15.08.1981	अलीगढ	आगरा	2017
11	072410367	सन्तोष कुमार सिंह	सर्वदेव सिह	15.02.1978	उन्नाव	लखनऊ	2017
12	072410253	संदीप यादव	ओम प्रकाश यादव	16.11.1977	मऊ	वाराणसी	2017
13	052141661	संजय कुमार	बनवारी लाल	08.02.1974	मुरादाबाद	बरेली	2017
14	072490118	बबलू सिह	फतेह सिंह	04.07.1973	आगरा	आगरा	2017
15	072010222	कुलदीप कुमार सिंह	कृष्ण बिहारी सिंह	15.08.1978	मथुरा	आगरा	2017
16	052590258	मनोज कुमार	मनोहर लाल	07.08.1979	बरेली	बरेली	2017
17	072020089	रविन्द्र यादव	बालक राम यादव	13.06.1977	मथुरा	आगरा	2017
18	072410442	मोहित लाल यादव	हुबलाल यादव	30.05.1972	कानपुर देहात	कानपुर	2017
19	072550032	दिनेश कुमार सिंह	बृजेश कुमार सिंह	15.07.1977	फिरोजाबाद	आगरा	2017
20	072430040	चन्द्रशेखर	अमर सिंह	10.08.1978	सम्भल	बरेली	2017
21	882530419	शाहिद अली	जमशेद अली	01.01.1970	बरेली	बरेली	2017

2– पदोन्नति पाये समस्त निरीक्षकगण अपने नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाए कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण

Scanned by CamScanner

परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी उन्हें अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। पदोन्नति प्राप्त निरीक्षकों का यदि जोन/परिक्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो एवं उनका समायोजन जोन स्तर पर सम्भव न हो तो ऐसे निरीक्षकों का विवरण उनके सेवाविवरण सहित इस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उनके स्थानान्तरण के संबंध में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ स्तर से अलग से आदेश निर्गत किये जा सकें।

3— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या—13/21/89—का—1—1997 दिनॉक 28—5—1997 के खण्ड—2 मे दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा—निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी,जहॉ पर संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रतिसहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपहानिरीक्षक/जनपद/इकाई प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से अपलोड कर पदोन्नति आदेश का कियान्वयन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से सर्वसंबंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—प्रारूप(क)

(प्रवीण कुमार)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
कानून—व्यवस्था/स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा शाखा, उ0प्र0 लखनऊ।
2— समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।
4— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद बाराबंकी, कानपुरनगर, सिद्धार्थनगर, चन्दौली, लखनऊ, बरेली, फिरोजाबाद, अलीगढ, उन्नाव, मऊ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर देहात, एव सम्भल।

प्रतिलिपि—अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में कृपयासूचनार्थ प्रेषित।

101 -2018 -.doc

Scanned by CamScanner

प्रारूप–"क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं,----------------------(नाम/पदनाम व पीएनओ)--------------------
पुत्र------------------------निवासी--------------------------------
थाना-----------जनपद----------वर्तमान में(जनपद/इकाई का नाम)--------------
------------ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

"मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण --------
(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई----------में कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:------------ को आरोप–पत्र दिया गया है।
(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0------------- धारा-------------थाना ------------ जनपद-----------में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:----------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----------स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

Scanned by CamScanner